कार्यालय जिलाधिकारी रायबरेली।

संख्या 341/डी0एल0आर0सी0–पुनर्ग्रहण/2018

दिनाँक 04 अक्टूबर, 2018

आदेश

शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–08विविध/2016 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में विहित प्राविधानों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 68/03–02 (6)/1979–रा0–1 दिनांक 05.09.86 में आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता अधिनियम 2006, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके शासकीय अधिसूचना संख्या 744(1)/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, संजय कुमार खत्री जिलाधिकारी रायबरेली निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 05.09.86 व 03.06.2016 के अनुसार अनुसूची में स्तम्भ 05 में अंकित नगर निकाय के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–08विविध/2016 दिनांक 11 जुलाई, 2018 के विन्दु 2(3) (घ) में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों के निर्माण हेतु ग्राम देवानन्दपुर तहसील सदर जिला रायबरेली की भूमि संख्या 50मि./1.500हे0 रू0 1.00 मात्र सांकेतिक प्रीमियम पर (यह किराया प्रति वर्ष निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा होगा जो देय है) 30 वर्षो के लिए पट्टे पर, जिसे बाद में 30–30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर आवास विकास परिषद लखनऊ को प्रदान करता हूँ:–

क्र.	जनपद	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं0	क्षे0 (हे0 में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रायबरेली	सदर	सदर	देवानन्दपुर	50मि0	1.500हे.	ऊसर	अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के पक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबुल हाउसिंग इन पार्टनरशिप मद के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु।

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी
रायबरेली।

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव राजस्व उ0प्र0 शासन, अनुभाग-01 लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग–05, लखनऊ।
4. आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
5. उपजिलाधिकारी सदर को विलेख निष्पादित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से एतद्द्वारा अधिकृत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह कृपया आवास विकास परिषद लखनऊ से समन्वय स्थापित कर पट्टा विलेख निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।
6. अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को इस आशय से कि वह वार्षिक सांकेतिक मूल्य रू0 1.00 मात्र लेखाशीर्षक 0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियॉ–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" जमा करके पट्टा निष्पादित होने के उपरान्त पंजीयन कराकर एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार सदर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

04/10/18

जिलाधिकारी
रायबरेली।